

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-1690/ग्यारह-9(1)/2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(104)-2013
लखनऊ: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो में दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

- (क) उक्त अनुसूची-एक में, कम संख्या 10 की प्रविष्टि में अर्द्धविराम और शब्द “ ; पालिएस्टर एवं स्टैपिल फाईबर यार्न” अंत में बढ़ा दिये जायेंगे ;
- (ख) उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में, कम संख्या 98 की प्रविष्टि निकाल दी जायेगी।

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।